बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार

...नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
अध्यक्ष

...गाधर लाल दास
(जी० एल० दास)
महासचिव

अध्यक्ष : 2226623 (R)
महासचिव : 2286865 (R)

TWT
Truth Will Triumph

पत्रांक ....

पटना
दिनांक ....

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- श्री नरेन्द्र सिंह, माननीय विधायक, चकाई विधान सभा द्वारा श्री अशोक कुमार मल्लिक, अनुमण्डल पदाधिकारी, जमुई के साथ दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि श्री अशोक कुमार मल्लिक, अनुमण्डल पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त सूचनानुसार जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड प्रमुख, खैरा के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव के मामले में विधि-व्यवस्था कारणों से लिये गये निर्णय को तोड़-मरोड़ कर उनके विरुद्ध आरोप पंचायती राज मंत्री श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा के समक्ष लाया गया है ।

उपर्युक्त शिकायत के आधार पर जिला दण्डाधिकारी, जमुई एवं अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई से स्पष्टीकरण प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर द्वारा पंचायती राज विभाग के निदेश पर पूछा गया । प्रमंडलीय आयुक्त से प्राप्त प्रतिवेदन पर समुचित समीक्षा नहीं की गई और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को माननीय विधायक श्री नरेन्द्र सिंह के पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर माननीय पंचायती राज मंत्री श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा द्वारा परिवाद पत्र भेजा गया ।

विदित हो कि बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, मुंगेर इकाई के तत्कालीन उप विकास आयुक्त (श्री कुमार अरुण) के साथ माननीय पंचायती राज मंत्री श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा के द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के फलस्वरूप उनका बहिष्कार किया गया था और श्री अशोक कुमार मल्लिक उस समय अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे तथा संघ के केन्द्रीय समिति के सक्रिय सदस्य भी थे । बहिष्कार का कार्यक्रम अभी भी जारी है । सम्भवतः इन्हीं बातों से प्रेरित होकर माननीय विधायक श्री नरेन्द्र सिंह के आधारहीन आरोपों को मानते हुए उनकी सहमति से माननीय पंचायती राज मंत्री,

.......पृ0/2

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार

गजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
अध्यक्ष
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)
महासचिव

अध्यक्ष : 2226623 (R)
महासचिव : 2286865 (R)

Truth Will Triumph

पत्र संख्या ....

पटना
दिनांक ....

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को आरोप-पत्र बनाकर भेजा गया है ।

अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई श्री मल्लिक द्वारा प्रखंड प्रमुख, बैरा के विरूद्ध विश्वास प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में प्रभावित व्यक्ति द्वारा एक रिट/अपील याचिका दायर किया गया है, जो अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । उपर्युक्त परिस्थिति में जबतक माननीय उच्च न्यायालय रिट/अपील याचिका पर फैसला नहीं हो जाता है तबतक इसे आरोप मानना नियमानुकूल नहीं होगा ।

इस सम्बन्ध में यह भी कहना उचित होगा कि श्री नरेन्द्र सिंह, माननीय विधायक ने जमुई जिला के 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक में दिनांक 16-01-03 को स्थानीय परिसदन में श्री मल्लिक के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था और उन्हें अकारण विशेषाधिकार हनन की धमकी भी दी थी । इस घटना के समय जमुई जिला के प्रभारी 20 सूत्री मंत्री श्री प्रयाग चौधरी [राज्य के मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग] के अतिरिक्त जिला के सभी विधायक, जिला पदाधिकारी भी उपस्थित थे । इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि राजनैतिक विद्वेष के कारण ही इस तरह का व्यवहार श्री मल्लिक के साथ माननीय विधायक कर रहे हैं और कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें आरोपित कर परेशान करने की मंशा रखते हैं ।

उपर्युक्त परिस्थिति में यह अनुरोध है कि इस मामले में निर्णय लेने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट/अपील याचिका में आदेश पारित होने तक प्रतीक्षा की जाए और श्री मल्लिक जैसे ठोस एवं निर्भीक निर्णय लेने वाले पदा--धिकारी पर कार्रवाई करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उचित एवं पर्याप्त अवसर निश्चित रूप से दिया जाय और आवश्यकतानुसार संबंधित मामलों पर राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार से भी मंतव्य प्राप्त कर लिया जाय ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
[गंगाधर लाल दास]
महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार

ब्रजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
अध्यक्ष
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)
महासचिव

अध्यक्ष : 2226623 (R)
महासचिव : 2286865 (R)

Truth Will Triumph

पत्रांक संख्या ....

पटना
दिनांक ....

ज्ञाप संख्या- 47   पटना, दिनांक- 4 सितम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि-श्री अशोक कुमार मल्लिक, अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4.9.03

(गंगाधर लाल दास)
महासचिव ।